Online ISSN: 2455-0256 **Print ISSN: 2394-9805**

ग्रामीण महिलाओं की सशक्तिकरण की चुनौतियाँ

डॉ0 सतीश सिंह यादव

असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्जुन सिंह महाविद्यालय, खजुरी, वाराणसी

E-mail- satishmgkvp@gmail.com

महिला की सुदृढ व सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध तथा मजबूत समाज की द्योतक होती है। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, यहां **''यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमंते तत्र देवता''** का सूत्र वाक्य पौराणिक काल से मान्य रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते है जिनसे पता चलता है कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। मध्यकाल एवं इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक इनकी स्थिति संतोषजनक नहीं रही है। किंतु स्वतंत्रता के बाद से संविधान में किए गए अनेक प्रावधानों के कारण आज भारत की महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ। लेकिन ग्रामीण महिलाओं की स्थिति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती। अनेक कारणों से भारतीय ग्रामीण महिलाओं की स्थिति कमजोर बनी हुई है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीति एवं आर्थिक भागीदारी आदि से संबंधित संकेतकों में अधिकांश भारतीय ग्रामीण महिलाओं की स्थिति निम्नतर बनी हुई है।

महिला सशक्तिकरण के विषय पर जब हम बात करते है तो एक बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि भारतीय समाज में सदैव ऐसी ताकतें सक्रिय और सशक्त रही है जो महिला सशक्तिकरण का पुरजोर विरोध करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हजारों वर्षों से चली आ रही इस लिंगानुभेद आधारित विविधत को रातोंरात ठीक नहीं किया जा सकता है। ऐसे में आज वर्तमान में जहां हम हैं, इस पर विचार करना जरूरी हो गया है।

यदि आज एक पुरूष को शिक्षित करते है तो मात्र वह पुरूष ही शिक्षित होता है परंतु एक महिला को शिक्षित करते है तो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ शिक्षित हो जाती है। जागृत महिला की शक्ति को कम करके आंका जा सकता है। महिलाओं की जागृति ने उनमें शक्ति का संचार किया है जिससे महिलाएं आन्दोलित होकर समाज की बुराइयों के सामने चुनौती बनकर खड़ी होने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रो में विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं और जागरूकता ने महिलाओं को समाज का स्वीकृत कामकाजी हिस्सा बनाया है। ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण, मनरेगा में उनकी भागीदारी, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता आदि जैसी नई भूमिकाओं ने वास्तव में ग्रामीण महिलाओ के थके चेहरों पर आत्मनिर्भरता की नई चमक बिखरने का काम किया है। महिला सशक्तिकरण ने ग्रामीण समुदायों के साथ–साथ गांव के कमजोर वर्गों को भी सशक्त किया है। राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से शासन की गुणवत्ता

मे भी सुधार हुआ है। पंचायती राज के माध्यम से हुए महिला सशक्तिकरण से ग्रामीण महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई है। उनमें अन्याय और शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की हिम्मत बढ़ी है। उनके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आया है। उनमें आत्म विश्वास एवं जोश बढ़ा है। रचनात्मक कार्यों में भी इनकी भागीदारी बढ़ी है। महिलाएं हमारे देश की आबादी का आधा हिस्सा है इसलिए राष्ट्र विकास के महान कार्यों में महिलाओं की भूमिका तथा योगदान को पुरी तरह सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के कार्य को समझा जा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ महिलाओं को हाशिए पर रखकर आर्थिक विकास संभव हुआ है। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य तथा देश के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते है तो हमारा तात्पर्य पुरूषों की बराबरी करना न होकर महिला को सशक्त करना से है, आर्थिक–सामाजिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर कार्य करने में महिलाओं की सशक्त भागीदारी से है। महिलाएं शहरी हो या ग्रामीण उनकी सामाजिक स्थिति बदलने में उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण योगदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं के द्वारा पर्याप्त वित्त व्यवस्था के साथ–साथ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है, जिसका स्वरूप आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, व्यवस्था, बैकिंग, संचार, उद्योग, व्यवस्था, मनोरंजन प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। सरकारी प्रयास के साथ–साथ महिलाएं स्वयं भी आज काफी जागरूक हो रही है, जिसमें संचार क्रांति का बहत बड़ा योगदान है। महिलाएं स्वयं भी अपने उत्थान के प्रति संकल्पित है। महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के जरिए एकजुट कार्य करते हुए अपनी सफलता के झंडे तकरीबन हर गांव हर कस्बे में गाढ़ किए है। इन संगठनों को सरकार द्वारा प्रायोजित विविध कार्यक्रमों जैसे नाबार्ड, राष्ट्रीय महिला कोष, केयर, यूएनडीपी आदि के जरिए सहायता उपलब्ध करायी जाती है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने भी महिलाओं की दशा बलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाएं घर–गृहस्थी का काम निबटाने के बाद गाँव में ही काम कर रही हैं और उन्हें पुरूषों के बराबर मजदूरी भी मिल रही है। महिला रोजगार की दशा में मनरेगा मील का पत्थर साबित हुआ है।

महिला सशक्तिकरण की पहल सर्वप्रथम 1985 में ''नौरोबी'' में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में की गई थी। इसके बाद विश्व के सभी भागो में इसने एक आन्दोलन का रूप ले लिया। महिला सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ है– महिला को शक्ति संपन्न बनाना। परन्तु व्यापकता में इसका अभिप्राय सत्ता–प्रतिष्ठानों एवं जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की साझेदारी से है। निर्णय लेने की क्षमता को सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक कहा जा सकता है। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वायत्ता से है। महिला सशक्तिकरण

के लिए भारत की तत्कालीन सरकार ने 2001 में ''महिला सशक्तिकरण वर्ष'' घोषित किया था परन्तु विडम्बना ये रही है कि उस घोषणा के बाद इस पर कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। अगर कुछ हुआ भी है तो यह कैसे मान लिया जाए जबकि आज की महिला अपनी परिस्थिति को ही अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती है। कभी–कभी तो ये लगता है कि सशक्तिकरण की बात करना कहीं महिलाओं की तात्कालीन सनक तो नहीं है?

वर्ष 2011 की जनगणना, भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है। नवीन जनगणना के अनुसार लगभग 69 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में बसती है। 121 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत देश मे 83.3 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बसते है जिनमें 45 करोड़ महिलाएं है। यही कारण है कि प्राचीन काल से भारत के संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन की इकाई इसके गांवों में केन्द्रित रही है। पंडित जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में ''यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिला का विकास होने पर समाज का विकास होगा तथा समाज से राज्य तथा राज्य से राष्ट्र का विकास होगा। भारत की समृद्धि का रास्ता ग्रामों की समृद्धि में निहित है तथा ग्रामों के आर्थिक विकास को प्रभावित करने में ग्रामीण महिला उद्यमी की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में देश के शहरी और ग्रामीण विकास में महिला उद्यमी पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तत्पर हैं। दुनिया और देश के विकास में योगदान दे रही है, जहां पहले केवल पुरूषों का वर्चस्व माना जाता था। यह परिदृश्य हमें बहुधा शहरी और शिक्षित क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिए अभी भी अपेक्षानुकूल नहीं हैं इसके बावजूद ग्रामीण विकास में महिलाएं ग्रामीण उद्यमिता के क्षेत्र में अनेक चुनौतीपूर्ण एवं उल्लेखनीय कार्य कर रही है। स्त्रियाँ अनेक विषम परिस्थितियों तथा कठिन चुनौतियों का सामना करके अपने उद्यमों द्वारा न केवल अपने परिवार के आर्थिक स्वावलम्बन में सहयोगी बनी है वरन् प्रकाशंतर से ग्रामीण विकास में भी योगदान दे रही है।

भारत कुल जनसंख्या में 52 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली महिलाओं का जीवन बहुत कठिन एवं यातनापूर्ण बन गया है। आंकड़ों में यदि ये देखा जाये तो प्रत्येक 1000 पुरूषों पर 940 महिलाएं है जिनका शैक्षणिक विकास प्रतिशत मात्र 65.16 है, भारतीय संसद में ये 10 प्रतिशत भी है, प्रशासकीय प्रबन्धकीय व व्यावसायिक पदों पर मात्र 2.3 प्रतिशत और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में मात्र 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व ही है। ये आंकड़े साफ बता रहे कि महिला वर्ग को किस तरह से समाज की विभिन्न गतिविधियों में हाशिए पर रखा जा रहा है। समाज में कन्या भ्रूण हत्या के मामले पिछले कई वर्षों में खूब तेजी से बढ़ रहे है। पुत्र को परिवार की सम्पत्ति और पुत्री को दायित्व के रूप में समझने की मानसिकता सदियों पुरानी है।

भारतीय संविधान में महिलाओं को समानता का अधिकार और पंचायती राज में आरक्षण का अधिकार मिला तो लिंगभेद आधारित विभिन्न समस्याएँ सशक्तिकरण में बाधा बन गई।

भारतीय समाज म महिला सशक्तिकरण के लिए सामाजिक पद्धति और नियमों की वृहद परम्परा में यदि हम पुरूष प्रधान मानसिकता के मध्य अमृत मंथन की कल्पना करेंगे तो शायद ये सम्भव नहीं होगा। अरस्तू कहते है ''किसी भी राष्ट्र की स्त्रियों की उन्नति या अवनति पर ही उस राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्भर है। भारत जैसे राष्ट्र में जहां हमने अपने देश को भी भारत माँ कहा है, माँ भारती के उच्चारण के साथ हम गौरव का अनुभव करते है, ऐसे देश में नारी आज अबला बनी है, अपनी प्रतिकूलता और दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। ये एक कष्ट दायक परिदृश्य है। भारतोय समाज में महिलाओं के प्रति अत्याचार व भेदभाव की मानसिकता को तब अवश्य विराम लगेगा, जब समाज में महिलाओं को उनके विधिक अधिकार और संविधान प्रदत्त सुरक्षा और प्राथमिकताओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देंगे। भारत का संविधान भी महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा हेतु निम्न प्रावधान प्रदान करता है–

- सभी व्यक्तियों के लिए कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद–14)
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषद अनुच्छेद– 15(1) महिलाओं और बच्चों के लिए अनुच्छेद 15(3) में विशेष प्रावधान।
- राज्य के अधीन किसी भी पद, रोजगार या नियुक्ति से सम्बन्धित समान अवसर (अनुच्छेद–16)
- पुरूषों और महिलाओं के लिए सुरक्षित जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का अधिकार (अनुच्छेद–39 (ए)
- समान कार्य के लिए समान भुगतान का अधिकार (अनुच्छेद–39 (द)
- स्थानीय निकायों में 1/3 आरक्षण का प्रावधान (अनुच्छेद–343 (द) और 343 (त)।

इसके अतिरिक्त घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, सती निवारण, बाल विवाह, हिन्दू वसीयत अधिनियम, विदेशी विवाह अधिनियमों के माध्यम से विधिक सुरक्षा–संरक्षा प्रदान कर महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में गम्भोर प्रयास हुए हैं।

महिला जागृति –

महिलाओं को जागृत करने से उनके अन्दर शक्ति का संचार होगा जिससे महिलाएं आन्दोलित होकर समाज की बुराइयों के सामने चुनौती बनकर खड़ी होने लगेंगी। जैसे अच्छे भले घर को बर्बाद करने वाली 'शराब' को अब महिलाओं से लोहा लेना पड़ रहा है। सबसे पहले आन्ध्रप्रदेश में महिलाओं की आवाज बुलन्द हुई। महिलाओं ने गाँव–गाँव जाकर शराब के ठेकों को बंद करने में वृहद भूमिका निभाई। अब तो हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में भी इस

दिशा में कदम बढ़ रहे है। 1993 के मध्य मे मूलम पल्लई की उग्र महिलाओं के प्रयास से देशी शराब की दुकानों का घेराव कर उन्हें बन्द करवाया तथा अन्य महिलाओं का भी मार्ग प्रशस्त किया। ये आगे बढ़ती गई और कोच्ची के आसपास के कस्बे चेलन्नम, कुवालालांगी, चिन्तूर, सौंदी आदि क्षेत्रों में महिलाओं ने शराबी पतियों से झगड़ा करना छोड़कर देशी शराब की दुकानों को घेरना शुरू किया तथा नतीजा आया कि देशी शराब की दुकानें अनेक ठेकेदारों को बंद करनी पड़ी।

भारत में जागृति बिना महिला जागृति सम्भव नहीं है। ''सशक्त नारी सशक्त भारत'' का नारा साकार करना होगा। आज के राजनैतिक परिवेश में महिलाओं की संख्या अत्यन्त कम है। यह तर्क अच्छा नहीं है कि राजनीति में भले लोगों का स्थान नहीं। इस भय के कारण अच्छे लोगों द्वारा राजनीति में भागीदारी नहीं निभाने से राजनीति में अपराधी तत्वों का नियंत्रण होने के अवसर बढ़ते जा रहे है। अतः राजनीति के बिगड़ते स्वरूप को सँवारने व उसे स्वच्छ बनाने के लिए महिलाओं को हिम्मत करके राजनीति में उतरना ही चाहिए। इसके लिए महिलाओं को सम्मान देने का उत्तरदायित्व पुरूष, समाज और राष्ट्र को लेना होगा।

आर्थिक सशक्तिकरण –

ग्रामीण महिलाआ के सशक्तिकरण का अर्थ है महिला संबंधी समस्याओं को पूरी जानकारी के लिए उनकी योग्यता व कौशल में वृद्धि कर सामाजिक एवं संस्थागत अवरोधों को दूर करने का अवसर प्रदान करना, साथ ही आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा देना ताकि वे अपने जीवन की गणवत्ता में सुधार ला सकें। भारत जैसे विकासशील देश में ग्रामीण महिलाओं के व्यापक सशक्तिकरण के लिए आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह एक सर्वोत्तम साधन है। सशक्तिकरण से संबंधित नीतियों के क्रियान्वयन इस प्रकार से करना होगा कि वंचित महिलाओं को आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त हो सके तथा इससे आने वाली दैनिक समस्याओं को दूर किया जा सके। ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण पूरी दुनिया भर के देशों में प्रगति व सुधार का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस प्रकार स्वयं सहायता समूहों क माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के परिवार, समाज व राष्ट्र की स्थिति में सुधार संभव है।

गरीबी उन्मूलन के एक सशक्त साधन के रूप में लघु उद्यमों के विकास से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलता है। गरीबी ग्रामीण महिलाओं में लघु उद्यमों को बढ़ावा देने में स्वैच्छिक संस्थाएं एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लघु उद्यम स्थापित करने के लिए कारगर ऋण सेवा सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने में वित्तीय संस्थाओं और महिलाओं के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क का कार्य करती है। गरीबी–रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली अधिकांश महिलाएं ही हैं जो कि प्रायः अत्यधिक गरीबी की स्थिति में जीवन व्यतीत करती है और उन्हें

कठोर घरेलू परिस्थितियों व सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। फलतः इस वर्ग में ग्रामीण महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के निदान हेतु विशष रूप से व्यापक आर्थिक नीतियों तथा गरीबी उन्मुलन के कार्यक्रमों को और अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। निर्धन ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक विकास के साथ–साथ समर्थन सेवाएं प्रदान करके संगठित करने के कदम उठाए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन :–

केन्द्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण इलाके में रह रहे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जोड़ना है। इस योजना में वर्षों से चल रही संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना को समायाजित किया गया है। इस योजना के जरिए गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहें लोगों की ओर से बनाए गए समूहों को पोषित किया जाता है इस योजना में महिलाओं को 40 फीसदी लाभान्वित किए जाने का प्रावधान किया गया है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2009–10 और 2010–11 में जिन 20851777 और 2109796 स्वरोजगारियों को सहायता दी गई, उनमें 15,02285 और 1424059 स्वरोजगारी महिलाएं थी जो 72,04 प्रतिशत और 6749 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है।

महिला साक्षरता :–

महिलाओं की साक्षरता दर पुरूषों के मुकाबले बहुत कम है। गरीब बालिका के लिए आज भी शिक्षा की अपेक्षा पेट की भूख को मिटाने के लिए काम करने को प्राथमिकता दी जाती है। केन्द्रिय एवं राज्य सरकारों द्वारा लड़कियों की शिक्षा हेतु कई नीतियों एवं परियोजनाओं के बावजूद 2011 की जनगणना के अनुसार 36 प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित पाई गई।

साक्षरता में महिलाओं की स्थिति :

वर्ष	महिला साक्षरता (प्रतिशत में)	पुरूष साक्षरता (प्रतिशत में)	सकल साक्षरता (प्रतिशत में)	महिला साक्षरता में दशाब्दि वृद्धि	साक्षरता दर पुरूष–स्त्री
1951	8.86	27.16	18.33	–	8.30
1961	15.34	40.40	28.31	6.48	25.06
1971	21.97	45.95	34.45	6.63	23.98
1981	29.29	56.50	43.67	7.88	26.65
1991	39.29	64.13	52.21	9.44	24.84
2001	54.16	75.85	65.38	14.87	20.89
2011	65.46	82.14	74.04	18.12	16.68

स्रोत– जनगणना, भारत सरकार

बीसवीं शताब्दी में भारत में स्त्रियों की स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। महिलाओं के लिए अब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जहां उनकी पहुंच न हो। भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 1901 में भारत में मात्र 0.60 प्रतिशत महिलाएं साक्षर थी जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 54 प्रतिशत थी। भारत वर्ष में लगभग 1.25 लाख महिलाएं डॉक्टर बनती है तथा कला संकाय में बीए की उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों का 50 प्रतिशत महिलाएं है। भारत के 21 प्रतिशत सॉफ्टवेयर व्यावसायिक तथा 25 इंजीनियर एवं विज्ञान स्नातक महिलाएं है। संगठित क्षेत्र के कुल कर्मचारियों का 18 प्रतिशत तथा 6.38 लाख गांवों में 77,210 गाँवों की पंचायतों की प्रधान महिलाएं है। विभिन्न नागरिक संस्थानों में 10 लाख से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। भारतीय महिलाएं प्जी का अप्रत्यक्ष रूप में निर्माण करती है। महिलाओं का टी.वी. चैनलों एवं फिल्म उद्योगों में भी आधिपत्य है।

महिला सशक्तिकरण व पंचवर्षीय योजनाएं :–

स्त्री और पुरूष के बीच समानता का सिद्धान्त भारत के संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों तथा नीति निर्देशक सिद्धान्तों में अंतर्निहित है। संविधान न केवल महिलाओं को समान अवसर प्रदान करता है बल्कि सरकार को यह शक्ति भी प्रदान करता है कि वह महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के लिए कदम उठा सकें।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना (1974–78) और उसके बाद से महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति उल्लेखनीय परिवर्तन आया है और यह कल्याण से आगे बढ़ता हुआ महिलाओं के विकास की दिशा में बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण को, उनकी हैसित के निर्धारण का केन्द्रीय विषय माना जाने लगा।

आठवीं योजना (1992–97) जो मुख्य रूप से मानवीय विकास पर केन्द्रित थी, ने पुनः महिलाओं के विकास पर जोर दिया। इससे यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था कि विभिन्न क्षेत्रों से होने वाले लाभों से महिलाएं वंचित न रहें। इसका उद्देश्य सामान्य विकास कार्यक्रमों को पूर्ण करन हेतु विशेष कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और विकास के अन्य क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले लाभों को महिलाओं के लिए सुनिश्चित करना था ताकि वे विकास प्रक्रिया में समान रूप से सहयोगी और सहभागी बन सकें।

नौवीं योजना (1997–2002) ने महिलाओं के लिए नियोजन की धारणात्मक व्यूहरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन किए गए। पहला, महिलाओं के सशक्तिकरण ने नौवीं योजना के नौ प्राथमिक लक्ष्यों में से एक का रूप ले लिया। दूसरा, योजना ने महिला केन्द्रित और महिला संबंधित क्षेत्रों में विद्यमान सभी सेवाओं को एक धारा में मिलाने का प्रयास किया।

दसवीं योजना (2002–2007) में सामाजिक परिवर्तन और विकास के अभिकर्ता के रूप में महिलाओं के सशक्तिकरण की रणनीति प्रमुखता से जारी रही। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तिहरी रणनीति को अपनाया गया, ये थे– सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए समान न्याय।

ग्यारहवीं योजना (2007–2012) में महिलाओं में सशक्तिकरण की जो परिकल्पना की गई उसमें समावेशी और समेकित विकास, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ–साथ स्त्री के लिए समान न्याय को प्रमुखता दी गई है।

निष्कर्ष :–

देश के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण महिला सशक्तिकरण अति आवश्यक है और इसी कारण देश के विकास के लिए ग्रामीण महिलाओं को मुख्यधारा में लाना सरकार की मुख्य चिंता रही है। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण भारत क विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं का सशक्तिकरण, जीवन के सभी क्षेत्रों में सतत विकास, पारदर्शी तथा उत्तरदायी सरकार एवं प्रशासन के लिए आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं एवं पुरूषों की समान भागीदारी ग्रामीण समाज एवं देश के संतुलित विकास को बढ़ावा देगी जिससे अंततः भारतीय लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। क्योंकि ग्रामीण महिलाओं की सभी स्तरों पर निर्णय एवं नीति–निर्माण तथा क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता के बिना समानता, सामाजिक न्याय एवं लोकतांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति नहीं होगी। अभी महिला सशक्तिकरण के कदम उठाने बाकी है, इसलिए लचीला एवं प्रभावी रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1 कुरूक्षेत्र (सितम्बर 2011) : ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011

2 कुरूक्षेत्र (अगस्त 2013) : ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011

3 योजना (अक्टूबर 2008) : सूचना प्रकाशन मंत्रालय, नई दिल्ली–110011

4 योजना (जून 2012) : सूचना प्रकाशन मंत्रालय, नई दिल्ली–110011

5 कुरूक्षेत्र (मई 2014) : ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011

6 कुरूक्षेत्र (मई 2013) : ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011

7 विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाएँ।